न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 76/21 निर्णय दिनांकः–21–11–2023
(जीसीएमएस संख्या 2021/107)

1. हरजीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवसी हनुमान नगर तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29–12–2006
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 29–12–2006 जिसके द्वारा अपीलांट को पात्रता से कम आवंटन एवं नियमन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को दिनांक 24–09–1990 को जरिये मिसल संख्या 1698/88 सी श्रेणी में ग्राम रामड़ा तहसील पूगल के खेत खसरा नम्बर 230/2 में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

37 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। जिसे बाद में उपनिवेशन आयुक्त द्वारा धारा 22 (3) के अन्तर्गत पुख्ता आवंटन निरस्त कर दिया गया। परन्तु कालान्तर में राज्य सरकार के आदेश से इस तरह के आवंटियों के लिये विशेष आवंटन की दर से आवंटन को नियमन करने के प्रावधान किये जाने पर अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 30 डीओडीडी (ए) के मुरब्बा नम्बर 1/56, 1/63, 1/64, 2/49, 2/57, 2/49 व 2/50 की कुल 18 बीघा कमण्ड व 3 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 21 बीघा भूमि के नियमन के आदेश दिनांक 29–12–2006 को किये गये। जबकि अपीलांट् सम्पूर्ण 37 बीघा भूमि के आवंटन एवं नियमन का पात्र था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् को उसके धारण की भूमि से कम भूमि का आवंटन व नियमन किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अपीलांट् वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का विधिवत आवंटन अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट् के पक्ष में किया जाना चाहिए था। अपीलांट् अपने धारण एवं कब्जे काश्त की शेष भूमि का नियमितीकरण एवं आवंटन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जाकर अपीलांट् की अपील स्वीकार करते हुए अपीलांट् के धारण व कब्जे काश्त की शेष भूमि का नियमितीकरण आदेश पारित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–12–2006 के विरूद्व अपील दिनांक 05–04–2021 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् की पात्रता के अनुसार नियमन किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् तरीके से अपीलांट् की पात्रता के अनुसार आवंटन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत् होने से अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–12–2006 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 05–04–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट् को ग्राम रामड़ा तहसील पूगल में दिनांक 24–09–1990 को खसरा नम्बर 230/2 की 37 बीघा बारानी भूमि का आवंटन किया गया था। जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–12–2006 के माध्यम से अपीलांट् को चक 30 डीओडीडी(ए) के मुरब्बा नम्बर 1/56, 1/63, 1/64, 2/49, 2/57, 2/49 व 2/50 की कुल 18 बीघा कमण्ड व 3 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 21 बीघा भूमि का नियमन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट् को पूर्व में खसरा नम्बरान् में बारानी भूमि का आवंटन किया गया था जिसे कालान्तर में राज्य सरकार द्वारा चकों में परिवर्तित करने पर आराजी जैर का नियमन किया गया। अपीलांट् के विद्वान अभिभाषक द्वारा दौराने बहस राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19–05–2006 की प्रति पेश की जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पूर्व आवंटित भूमि को विशेष आवंटन शर्तो के अनुसार नियमन किया जाना था। प्रकरण के तथ्यों को आद्योपान्त अध्ययन करने पर अपीलांट् को पूर्व में आवंटित भूमि को कमाण्ड, अनकमाण्ड के अनुसार राज्य सरकार के आदेशानुसार नियमन किया जाना न्यायोचित था। अपीलांट को पूर्व के खसरों में आवंटित भूमि ग्राम रामड़ा तहसील पूगल के खेत खसरा नम्बर 230/2 में 37 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 24–09–1990 को किया गया था, जो चकों में परिवर्तित होने पर चक 30 डीओडीडी (ए) के मुरब्बा नम्बर 1/56, 1/63, 1/64, 2/49, 2/57, 2/49 व 2/50 की कुल 37 बीघा के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रूप में पैमूद हुए है। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त व मौका जॉच रिपोर्ट तहसील रिपोर्ट में बताया गया है। जोकि अपीलांट् के कब्जे काश्त की भूमि से बने है। जिसके नियमन का अपीलांट् पात्र है तथा अपीलांट को आवंटन किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–12–2006 को बहाल रखते हुए आदेश दिये जाते है कि अपीलांट् को उसके धारण की शेष रही भूमि अर्थात 16 बीघा भूमि का विधिवत आवंटन किया जाकर आवंटन आदेश जारी किया जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21/11/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर